

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा

बनाम

सूरजमल वगैराह

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्रनं० **004**सन् **2022**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.03.2022	<p>उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली को सुनवाई हेतु रखा गया। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता सीएम जणवा ने पूर्व में अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण हाजिर। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने पूर्व में अप्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र पेश कर मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करने का निवेदन किया जो शामिल पत्रावली हैं रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र पर किसी प्रकार को कोई उज्र-एतराज नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 053/2021 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 14.09.2021 अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थीगण को भुगतान करना चाहती है एवं अप्रार्थीगण अब मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 053/2021(रे.वि.) निर्णय दिनांक 14.09.2021 अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थीगण को दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/ 2022/188 दिनांक 28.01.2022 से न्यायालय हाजा को प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कुल रुपये 6277940/- अक्षरे बासठ लाख सत्तर हजार नौ सौ चालीस रुपये मात्र अप्रार्थीगण के नाम के चैक संख्या 016973 से 016978 तक के कुल कित्ता 6 चैक जो कि अप्रार्थीगण के नाम पर जारी किये हुये प्रेषित है जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है उक्त चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को मूल ही लौटाया जावें एवं चैक की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावें एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय आदेश दिनांक 14.09.2021 अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। पत्रावली की पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/D- (अरविन्द कुमार पौसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 22.03.2022</p>	

